

पंजीकरण प्रारम्भ
16 अगस्त, 2021
से
16 सितम्बर, 2021



पंजीकरण पुस्तिका 2021



परिषद की सिविल लाइन्स योजना संख्या-2 भाग-2 बढ़ायें
में द्वितीय (चरण के अन्तर्गत, आवासीय भूखण्ड
प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

रेरा पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ213784

WEBSITE- www.up-rera.in



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद
U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

आवास विकास- सुनियोजित विकास

प्रमुख आकर्षण

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की सिविल लाईन्स योजना सं०-2 फरुखाबाद मार्ग पर बदायूँ में स्थित है। यह नवीनतम आवासीय परियोजना वर्ष 1982 से संचालित है। योजना का कुल क्षेत्रफल 135 एकड़ है। योजना के मुख्य आकर्षण निम्नवत हैं :-

- ❖ अवागमन हेतु बदायूँ रेलवे स्टेशन निकट है।
- ❖ कलेक्ट्रेट कार्यालय 1 किमी की सीमा में स्थित है।
- ❖ विकास भवन 500 मीटर की सीमा में स्थित है।
- ❖ बदायूँ मेडिकल कालेज 5 किमी की सीमा में स्थित है।
- ❖ योजना के मध्य भारतीय जीवन निगम कार्यालय, बैंक, तथा डिग्री कालेज तथा अन्य कार्यालय स्थित हैं।
- ❖ परिषद के उपखण्ड कार्यालय एवं सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय योजना के मध्य स्थित हैं।
- ❖ व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त प्रबन्ध किया गया है।
- ❖ योजना नागरिक सुविधाओं युक्त है।
- ❖ रोडवेज बस स्टैंड 1 किमी की सीमा में है।
- ❖ मुख्य बाजार 1 किमी की सीमा में है।



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद

उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से क्रियान्वयन करते हुए प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

उद्देश्य—

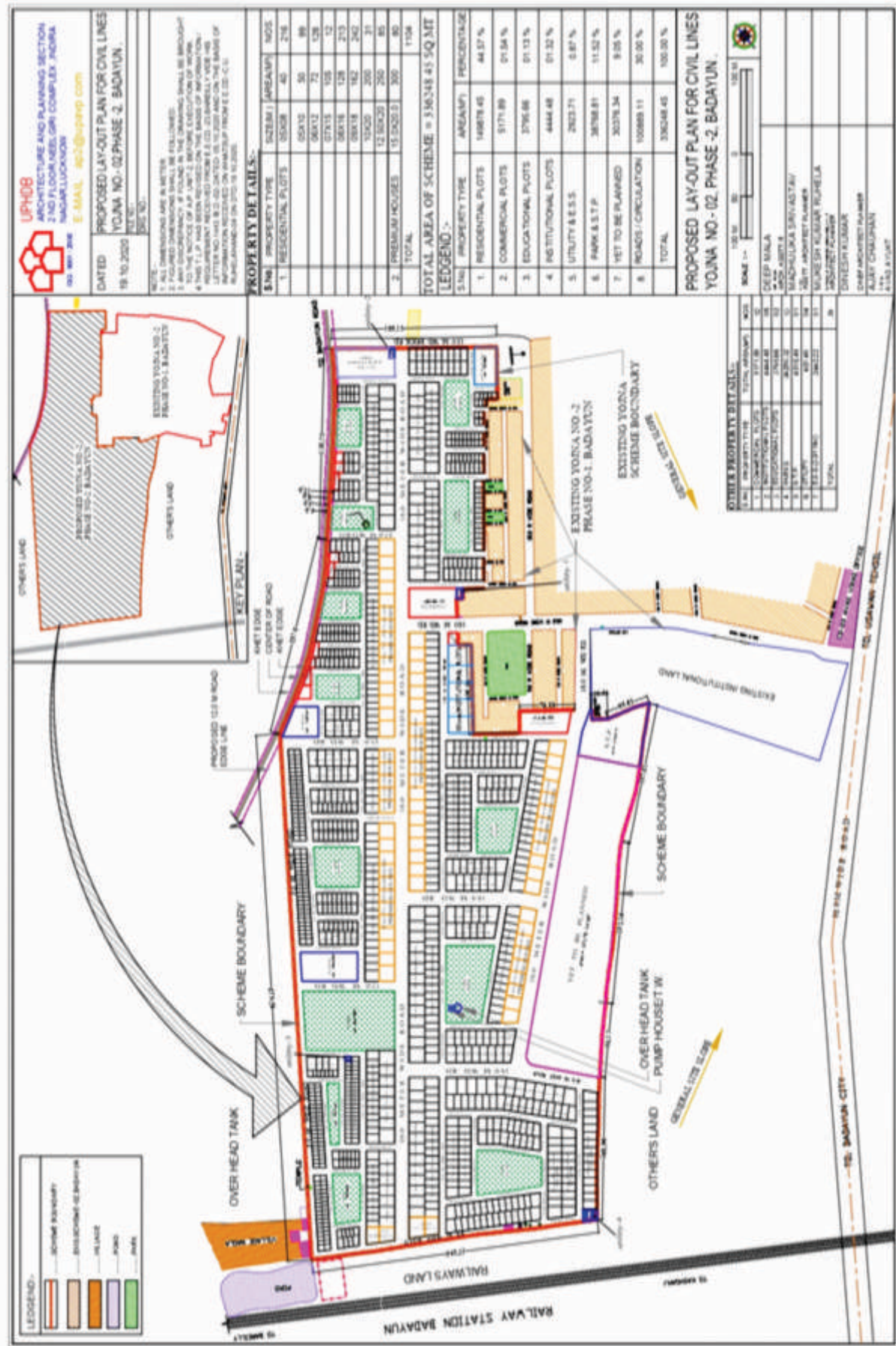
- (अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
- (ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।
- (स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।
- (द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों व दिव्यांगों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।
- (ध) केन्द्र/राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

- (न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।
- (प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।
- (फ) आवंटियों को सम्पत्ति के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे—विद्युत— आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों, पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिससे योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं। परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी द्वारा किया जायेगा।



**सिविल लाइन्स योजना संख्या-2, भाग-2, बदायूँ
ले-आउट प्लान**



सिविल लाइन्स योजना सं०-२ भाग-२ बढ़ायँ

भूखण्डों का विवरण

क्रमांक	योजना का नाम	भूखण्डों का साईज	संख्या	क्षेत्रफल व० मी०	पंजीकरण धनराशि	भूमि दर प्रति वर्ग मी०	भूमि सहित मानक भूखण्ड का विक्रय मूल्य	रिमार्क
i	सिविल लाइन्स योजना सं०-२ भाग-२ बढ़ायँ	5.00x8.00 मी.	59	40.00	30000	15000	600000	भूमि दर में नियमानुसार फ्रीहोल्ड चार्ज कार्नर एवं अन्य चार्ज अतिरिक्त देय होगा।
ii		5.00x 10.00 मी.	20	50.00	37500	15000	750000	
iii		6.00x12.00 मी.	28	72.00	54000	15000	1080000	
iv		7.00x15.00 मी.	5	105.00	78750	15000	1575000	
v		8.00x16.00 मी.	55	128.00	96000	15000	1920000	
vi		9.00x18.00 मी.	60	162.00	121500	15000	2430000	
vii		10.00x20.00 मी.	8	200.00	150000	15000	3000000	
viii		12.50x20.00 मी.	21	250.00	187500	15000	3750000	
ix		15.00x20.00 मी.	44	300.00	225000	15000	4500000	
			300					

एक मुश्त भुगतान विकल्प देने पर—

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 45 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने हेतु—

- भूखण्डों में पात्रता चयन के पश्चात भूखण्ड के मूल्य में फ्री-होल्ड शुल्क/कार्नर चार्ज के शुल्क को जोड़कर 50 प्रतिशत धनराशि एक माह में (पंजीकरण धनराशि सहित) एवं शेष 50 प्रतिशत धनराशि 2 वर्षों की त्रैमासिक किश्तें (दिनांक 01.04.2020 को एस०बी०आई० द्वारा प्रभावी MCLR (7.95%) +1% = 8.95% say 9.00% ब्याज सहित) किश्तों का भुगतान प्रदेशन पत्र जारी होने के साथ ही प्रभावी होगा।

नोट :

- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित / परिवर्तित हो सकती है।
- भूखण्ड की तालिका में अंकित क्षेत्रफल मानक के अनुरूप है। कार्नर के भूखण्डों में क्षेत्रफल कम या अधिक हो सकता है। अतः भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी / वृद्धि होने की दशा में तदनुसार धनराशि देय होगी।
- परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में आवंटी को दिनांक 01.04.2020 को एस.बी.आई. की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%)+1% अर्थात् 8.95% say 9.00% के अनुसार उसी आवंटी को भुगतान किया जायेगा, जो अपनी किश्तें जमा करने में कभी डिफाल्टर न हुआ हो अथवा धनराशि एकमुश्त जमा कर दिया हो। यह भी कि उक्त ब्याज उस तिथि तक देय होगा जिस तिथि में परिषद द्वारा कब्जा दिये जाने की प्रक्रिया आरम्भ की जाए। "Force Majeure" की स्थिति में एवं किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर यह भुगतान देय नहीं होगा। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।
- भूखण्डों की स्थिति के अनुरूप पी.एल.सी. (कार्नर सम्पत्ति पर 10 प्रतिशत, पार्क फेसिंग / ग्रीन बेल्ट पर 5 प्रतिशत) अतिरिक्त धनराशि देय होगी। यदि किसी भूखण्ड की परिस्थिति में कार्नर, पार्क फेसिंग / ग्रीन बेल्ट दोनो सुविधाएं अनुमन्य हो रही हैं, तो उसका मूल्य सामान्य मूल्य से 15 प्रतिशत अधिक होगा। उक्त के अतिरिक्त भूखण्ड के कुल मूल्य पर 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त देय होगा।
- न्यायालय के आदेशानुसार अथवा अन्य अपरिहार्य कारणों से यदि परिषद द्वारा आवंटन पत्र में उल्लिखित मूल्य में परिवर्तन करना पड़ा तो तदानुसार आवंटी को उसका भुगतान करना होगा। कोई विवाद मान्य नहीं होगा।
- प्रत्येक आवंटी को वाटर / सीवर कनेक्शन हेतु रु0 3500.00 अतिरिक्त देय होगा। आवंटन / मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत, विज्ञापन शुल्क रु0 354.00 अनुबंध हेतु एवं 120.00 प्रति साइट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त राज्य सरकार के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।
- भूखण्ड का कब्जा शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के बाद हस्तगत किया जायेगा।
- आवंटन में परिषद / शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- नगर पालिका / स्थानीय निकाय अथवा अन्य किसी विभाग / निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर / शुल्क, गृहकर, जलकल आदि का भुगतान नियमानुसार आवंटी को करना होगा।

1. भुगतान का तरीका

(एक मुश्त भुगतान की दशा में)

- 1.1 पात्रता चयन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से भूखण्ड के कुल मूल्य का 45 दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करने पर भूखण्ड के मूल्य पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।

(किश्तो में भुगतान की दशा में)

- 1.2 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।
- 1.3 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।
- 1.4 सम्पत्ति आवंटन हेतु प्रदेशन पत्र/मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर 50 प्रतिशत धनराशि एवं शेष धनराशि 2 वर्ष की त्रैमासिक किश्तों में दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) +1% = 8.95% say 9.00% की दर के अनुसार देय होगी। आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 50 प्रतिशत धनराशि 30 दिन के अन्दर बैंक कार्य दिवस में सीधे निर्धारित बैंक शाखा में ऑनलाइन जमा की जा सकेगी।
- 1.5 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में अवशेष धनराशि पर दिनांक 01.04.2020 को SBI की प्रभावी ब्याज दर MCLR (7.95%) +1% = 8.95% say 9.00% सामान्य ब्याज दर के साथ 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज की दर से देय होगा। आवंटी द्वारा समयानुसार भुगतान न करने पर परिषद नियमानुसार पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण एवं कटौती की कार्यवाही की जायेगी।
- 1.6 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से बैंक ड्राफ्ट/RTGS/NEFT एवं ऑनलाइन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। बैंक ड्राफ्ट "यू0पी0ए0वी0पी0 सिविल लाइन्स योजना फेज-2 संख्या-2 भाग-2 बदायूँ कलेक्शन एकाउंट/UPAVP CIVIL LINES YOJNA PHASE-2 SANKHYA-2 BHAG-2 BADAUN COLLECTION ACCOUNT" के नाम देय हो, के पक्ष में होना चाहिये। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नोट— क्रमांक 1.5 एवं 1.6 एक मुश्त भुगतान एवं किश्तो में भुगतान दोनों दशा में अनुमन्य होंगे।

2. आवंटन नियम

- 2.1 प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा पात्रता चयन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

- 2.2 लाटरी ड्रा से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें लाटरी ड्रा हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई-मेल से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदानुसार परीक्षणोपरान्त उसका निराकरण सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में लाटरी ड्रा की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा।
- 2.3 सम्पत्ति के विरुद्ध प्राप्त पंजीकरण आवेदनों की सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी की पृथक-पृथक सूची तैयार की जायेगी।
- 2.4 सम्पत्ति आवंटन हेतु लाटरी ड्रा के नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- 2.5 लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- 2.6 लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर यथासंभव उसी दिन अथवा आगामी कार्य दिवस में प्रसारित कर दी जायेगी तथा आवंटन पत्र पंजीकृत डाक/व्यक्तिगत/ऑनलाईन के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा।
- 2.7 आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र प्रस्ताव आनलाईन वेबसाइट www.upobpas.in पर आवेदन उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक होगा।
- 2.8 जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- 2.9 परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लाटरी ड्रा में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- 2.10 सम्पत्तियों के नम्बरिंग ड्रा/आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा।
- 2.11 शासन/परिषद द्वारा समय-समय पर किये गये परिवर्तन लागू होंगे। इस संबंध में आवास आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 2.12 प्रथम चरण में एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लाटरी ड्रा द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लाटरी ड्रा से कार्यवाही की जायेगी।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

- 3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।
- 3.2 आवेदक की आयु, आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- 3.3 भूखण्डों के पंजीकरण हेतु आवेदकों के लिए आय सीमा का प्रतिबन्ध नहीं होगा।

- 3.4 आवेदक अथवा उसका परिवार एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।
- 3.5 आवेदक या उसके परिवार के पास उन नगर में जहां आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की कोई सम्पत्ति न हो तथा उ. प्र. के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में एक से अधिक सम्पत्ति न हो।
- 3.6 भूखण्डों में आय सीमा प्रतिबन्धित नहीं है। पंजीकरण पुस्तिका नगर के निर्धारित बैंक इण्डसण्ड बैंक इन्दिरा चौक बदायूँ से प्राप्त की जा सकती है, वहीं से फार्म भर कर जमा करा जा सकता है।

4. आवेदन आनलाइन/ऑफलाइन प्रकार से किये जायेंगे

- 4.1 आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plot" पर क्लिक करना होगा।
- 4.2 इसक पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "सिविल लाइन्स योजना सं-2 भाग-2 बदायूँ पर क्लिक करना होगा।
- 4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारीयों भली-भाँति पढ़कर 'Apply Online' लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- 4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति-पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।
- 4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु लाटरी ड्रा की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
- 4.6 यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत प्रदेशन पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने की अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि की 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। आवंटन तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।
- 4.7 उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा।
- 4.8 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुबन्ध की शर्तों के अधीन होगी। अवशेष धनराशि बिना ब्याज के आर. टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से आवेदक के बैंक खाते में हस्तान्तरित होगी।
- 4.9 प्राकृतिक आपदाओं एवं अन्य अपरिहार्य कारणों के अतिरिक्त योजना संचालित न होने की स्थिति में एवं पंजीकरण धनराशि एक वर्ष से अधिक अवधि तक परिषद खाते में जमा रहने पर राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा बचत खातों पर संदेय ब्याज के अनुसार ब्याज देय होगा।
- 4.10 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों का भलीभाँति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

5. आरक्षण

क्र० सं०	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायते तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1	अनुसूचित जाति	21	उ०प्र० सरकार द्वारा निर्धारित सूची के अर्न्तगत उल्लिखित जातियाँ ही पात्र होगी। पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2	अनुसूचित जनजाति	2	-----तदैव-----
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	-----तदैव-----
4	मा० विधायक / सांसद/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	5	(अ) पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अधिकृत प्राविधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। (ब) समुचित प्रमाण।
5	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत प्राधिकारी का प्रमाण-पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकारण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायो के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन-पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये शर्त यह है कि कर्मचारी नियमित अधिष्ठान के अर्न्तगत कार्यरत हों एवं न्यूनतम 2 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो।
7	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण-पत्र/सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण-पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8	समाज के दिव्यांग व्यक्ति	3	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।

नोट:- उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे लाटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश / परिषदादेशों के प्राविधानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हारिजेन्टल रूप से किया जायेगा।
हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी

- 5.1 कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र होने की स्थिति में अथवा प्रमाण पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 5.2 उ.प्र. के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति आरक्षण हेतु पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

6. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

- 6.1 भवनों/भूखण्डों में लाटरी ड्रा के पश्चात असफल आवेदकों की जमा पंजीकरण धनराशि यथासंभव एक माह के अन्दर परिषद द्वारा निर्धारित बैंक द्वारा सीधे आवेदक के बचत खाते में RTGS/NEFT के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

7. भूखण्डों का भौतिक कब्जा

- 7.1 मांग पत्र निर्गमन की तिथि से 36 माह की अवधि में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।
- 7.2 आवंटन लाटरी में सफल आवेदकों को लाटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही व्यवहारित की जायेगी, उक्त के उपरांत सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादित पंजीकृत कराना होगा।
- 7.3 बिक्री करार (Agreement to sale) निष्पादन के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- 7.4 आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान पंजीयन/सेलडीड कराने से पूर्व करना होगा। शासन द्वारा निर्धारित दरों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी एवं निबंधन के पश्चात भौतिक कब्जा हस्तगत किया जायेगा।
- 7.5 प्रदेशन पत्र में अंकित दिनांक तक वांछित औपचारिकतायें विलम्ब से पूर्ण करने पर विलम्ब शुल्क तथा कब्जा पत्र जारी होने के बाद निर्धारित तिथि तक भौतिक कब्जा न लेने पर, विलम्ब अवधि हेतु, रखरखाव शुल्क रु0 50.00 प्रतिदिन की दर से देय होगा।

8. तथ्यों का छिपाना

- 8 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि सम्मत अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

9. अन्य महत्वपूर्ण सूचना/शर्त

- 9.1 योजना आवासीय है अतएव भूखण्ड का प्रयोग केवल आवासीय ही किया जायेगा। उल्लंघन किए जाने पर विक्रय-विलेख एवं आवंटन/पंजीकरण निरस्तीकरण के साथ ही साथ विधिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
- 9.2 पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नामिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्तें पूरी करता हो।

- 9.3 इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।
- 9.4 परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा-उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- 9.5 किसी भी सम-सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त महोदय में निहित होगा।

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण कोड	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हारिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी	F
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के उपरान्त आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

आनलाइन/आफलाइन् आवेदन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्रमांक	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी	दूरभाष संख्या
01	इण्डसण्ड बैंक इन्दिरा चौक बदायूँ	श्री बी0एस0 करकी श्री आयुष सक्सेना श्री पार्थ श्रीवास्तव	7408099444 7355449745 8840552584

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये हैं, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये हैं, उनके निम्नलिखित अर्थ होंगे :-

आवेदक का परिवार :-

इसमें स्वयं आवेदक/इच्छुक केता, उसकी पत्नी/पति तथा अवयस्क बच्चे सम्मिलित हैं।

भूखण्ड/भवन :-

भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित/निर्मित आवासीय भूखण्ड/भवन से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। चरण संख्या या कोड पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि सम्बन्धित है, इसलिये विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी। इसी प्रकार पंजीकरण चरण पत्र में इस विशेष पंजीकरण से सम्बन्धित जानकारी दी गयी है।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ0प्र0 राज्य की सेवा तथा इनके अधीन गठित निगमों, उपक्रमों एवं निकाय में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हों, से है।

स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है :-

- (1) जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हो और जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया हो, जिसके द्वारा इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप कम से कम दो माह की अवधि के लिये कारावास

का दण्ड भोगा गया हो या जिसे नजरबंदी या अंडर ट्रायल कैदी के रूप में जेल में कम से कम तीन माह की अवधि के लिए रखा गया हो या कम से कम 10 बेंतों की सजा पायी हो या फरार घोषित किया गया हो या स्वतंत्रता संग्राम में गोली से घायल हुआ हो या वीरगति प्राप्त की हों।

- (2) जो पेशावर कांड में रहे हों या जो भूतपूर्व आजाद हिन्द फौज के प्रमाणित सैनिक हों या भूतपूर्व इण्डिया इण्डिपेन्डेंस लीग के प्रमाणित सदस्य रहे हों।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति :-

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

नेत्रहीन तथा दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित नेत्रहीन/दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी न्यूनतम दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों, जिनकी दो वर्ष सेवा अवधि पूरी हो।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

MCLR+1% का तात्पर्य :-

दिनांक 01.04.2020 को प्रभावी एस.बी.आई. की MCLR से ब्याज की गणना की जायेगी।

Marginal cost of funds based lending rate is in simple words. Fixed the interest rate on floating rate Loans.

आवेदन पत्र में भरने के लिए कोड की सूची

आरक्षण श्रेणी	कोड	शहर	कोड
अनुसूचित जाति	01	बदायूँ	014
अनुसूचित जनजाति	02		
अन्य पिछला वर्ग	03	लिंग	कोड
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04	स्त्री	F
		पुरुष	M
		अन्य	T
		संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW
हारिजेन्टल आरक्षण	कोड	भुगतान	कोड
वर्तमान विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F	एकमुश्त भुगतान	01
सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी		किश्त	02
जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हो	G		
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,			
जल संस्थान, नगर महापालिका	B		
समाज के दिव्यांग व्यक्ति	D		
वरिष्ठ नागरिक (वृद्धजन)	O		
विस्थापित	W		

विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क करें

महबूब खान

सम्पत्ति प्रबन्धक

बदायूँ

8795810954

इं० नवीन कुमार वर्मा

अधिशाली अभियन्ता

निर्माण खण्ड—रुहेलखण्ड 4

8795811722

इं० प्रमोद कुमार

अधीक्षण अभियन्ता

बरेली जोन/रुहेलखण्ड वृत्त मुरादाबाद

8795810040

भूखण्डों के आनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :

- पंजीकरण आवेदन शुल्क रु. 1000 / – (रुपये एक हजार) जी.एस.टी. सहित आनलाइन जमा करना होगा।
- आन-लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट www.upavp.in पर जाकर मुख्य पृष्ठ (Homepage) के लिंक "Online Registration For Plot" पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब-पेज के लिंक "सिविल लाइन्स योजना सं0-2 भाग-2 बढ़ाऊँ" पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारीयों भली-भाँति पढ़कर "Apply Online" लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारीयों (Basic Informations) यथा-नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, मोबाईल नम्बर, ई-मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण आन-लाईन अपलोड/फीड किये जायेंगे।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Submit' बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- Submit करने के उपरान्त आवेदक द्वारा 'Confirm' करने की दशा में उसे अपने आन-लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आईडी0/पासवर्ड के साथ-साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा-निर्देश सहित प्राप्त होंगे।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक 'Print' पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण (Step-1) की ई-रसीद (e-Receipt) का प्रिन्ट आउट भविष्य के सन्दर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट आउट में अंकित दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
 - Visit website www-upavp-in & click on link "Online Registration of Plots".
 - Click on link "Registration Fee Payment" of concerning scheme's webpage.
 - Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.
 - Provide the required necessary details & click 'Submit'.
 - After clicking on 'Confirm button'..... BankMOPS* will be available.
 - Applicant can choose anyone option for making payment.

रु०-10.00 के स्टाम्प पेपर पर (नोटरी द्वारा सत्यापित) समक्ष

30प्र० आवास एवं विकास परिषद्

शपथ-पत्र

समक्ष:-आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद्

मैं श्री/श्रीमती/कु० पुत्र/पुत्री/पत्नी उम्र
निवासी शपथ पूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :-

1. मैं एतद्वारा शपथ पूर्वक बयान करता/ करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों, शर्तों दशाओं, विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रक्रिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।
2. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चे के उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद् की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ.प्र. के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं हैं।
3. जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिए मैं आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे पति/पत्नी या आश्रित बच्चे के नाम कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना में तुरन्त परिषद् को दूंगा/दूंगी।
4. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि गत वित्तीय वर्ष 2020-21 (पंजीकरण भरते समय की तिथि के पूर्व के वर्ष का उल्लेख करें) में समस्त स्रोतों से मेरी कुल आय वार्षिक (रु.....) थी जिसमें मेरे परिवार के समस्त सदस्यों एवं आश्रित सम्बन्धियों की आय सम्मिलित है।
5. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती जो रिश्ते में मेरे/मेरी हैं एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती जो मेरे /मेरी है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।
6. मैं एतद्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 5 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जानबूझकर परिषद् को दिया है तो परिषद् को मेरे विरुद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने का, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, मुख्यालय

हमारा यही प्रयास आपका अपना आवास



उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद U.P. HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ.

Website : <http://www.upavp.in>, E-mail : info@upavp.com

विस्तृत जानकारी परिषद के

टोल फ्री 1800-180-533 दूरभाष 0522-2236803

पर सम्पर्क करें या परिषद की वेबसाइट पर लॉगिन करें।

मूल्य ₹ 1000 / – (जी.एस.टी. सहित)